

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी त्रिंग भोपाल-462004

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 15/03/2017.

क्रमांक- 572 /999/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।


3. सत्र 2017-18 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं द्वारा "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 31/12/2016 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/01/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डबल्यू.पी. 8151/2016 में दिनांक 13/01/2017 को पारित निर्णय के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 289/11/न्याया/17/सीसी/अडतीस दिनांक 27/02/2017 के तहत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श किया जाना अनिवार्य किया गया है।

5. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध 17 संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर मार्गदर्शिका की कंडिका 3.1(5) के पालन में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु संस्थावार सूचना संस्था के "लॉग-ईन" पर "अपलोड" कर, एवं इसकी सामान्य सूचना विभागीय 'वैब-साईट' पर प्रदर्शित की जाकर पूर्ति के दस्तावेज प्राप्त किये गये।

6. विक्रम वि०वि०, उज्जैन का पत्र क्रमांक अकादमी/सम्बद्धता/2017/500, दि० 14.3.2017 द्वारा शासनादेश दिनांक 27/02/2017 के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया।

7. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से प्राप्त अभिमत के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण किया गया।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, (सम्बद्धता)
सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.)

8. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के अभिमत तथा परीक्षण के तथ्यों को दृष्टिगत रख आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रकरणवार निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:-

(1)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	अरावली इंस्टी० आफ कम्प्युटर मैनेजमेंट सोसा० नीमच
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अरावली मैनेजमेंट एण्ड कम्प्युटर कालेज, नीमच
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी०काम०-कम्प्युटर-तृतीय/अति० वि०-कम्प्यु०
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों के चयन नहीं होने से अनुशंसा नहीं की जा सकती है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कोड-28 में नियुक्तियों के दस्तावेज, ईपीएफ कटौती के नियमानुसार दस्तावेज नहीं, गत वर्ष की विश्वविद्यालय की संबद्धता नहीं, गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज अप्राप्त है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टैप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर
	आवेदित पाठ्यक्रमों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	अग्रलिखित के लिये प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
	आवेदित पाठ्यक्रमों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं किया जाता है।	अग्रलिखित के लिये प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।

(2)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	पूज्य रामनारायण राजीबाई शिक्षा प्रचार समिति, नीमच
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा० आर०बी०एस० इंस्टी० आफ एजु० नीमच
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	----
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी०काम०-भौतिक, गणित, कम्प्युटर-तृतीय 2-बी०एससी०-कम्प्युटर साइंस-तृतीय

Asst
 विशेष कर्मव्यवस्था अधिकारी
 उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
 मंत्रालय, भवन, गेपात (ग.प्र.)

5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षक चयन नहीं होने से अनूशांसा नहीं की जा सकती है।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	आवेदित विषय में कोड 28 में नियुक्ति संबंधी पत्र नहीं है		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0काम0-भौतिक, गणित, कम्प्यूटर-तृतीय 2-बी0एससी0-कम्प्यूटर साइंस-तृतीय
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।		

(3)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	संस्कार शिक्षा प्रसार एवं सामाजिक कल्याण समिति, मंदसौर		
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा10 संस्कार इंस्टी0 आफ प्रोफेशनल स्टडीज, दलौंदा मंदसौर		
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	----		
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0बी0ए0-तृतीय 2-बी0सी0ए0-तृतीय		
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षक चयन नहीं होने से अनूशांसा नहीं की जा सकती है।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कोड-28 में नियुक्तियों नहीं, धारा-27 में जीवित सदस्यों की सूची नहीं एवं वि0वि0 की गत वर्ष की संबद्धता प्रस्तुत नहीं।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0बी0ए0-तृतीय 2-बी0सी0ए0-तृतीय
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।		

(4)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	श्री पुष्पदंत सागर दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति न्यास सोनकच्छ		
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा10 मॉं जिनवानी कालेज आफ लिगल स्टडीज, सोनकच्छ जिला देवास		
3	आवेदित नवीन	----		

Handwritten Signature
 विशेष कार्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा : कानागालय
 सतपुरा भवन, गोपाल (ग.प्र.)

	पाठ्यक्रम		
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-एल0एल0बी0-द्वितीय वर्ष	
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षक चयन नहीं होने से अनूशांसा नहीं की जा सकती है।	
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कोड-28 में नियुक्तियां नहीं है। धारा-27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची प्रस्तुत नहीं।	
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
			बी0ए0-एल0एल0बी0-द्वितीय

(5)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री संत सिंगाजी एजुकेशनल सोसा0 समिति साकेत नगर, इंदौर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 संत सिंगाजी इंस्टी0 आफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट खातेगांव जिला देवास
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय में अति0वि0-सेरिकल्चर, कम्प्युटर साइंस
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों के चयन नहीं होने से अनूशांसा नहीं की जा सकती है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कोड 28 में नियुक्तियां नहीं, ईपीएफ कटोत्रा के नियमानुसार दस्तावेज नहीं, वेतन का बैंक प्रमाण नहीं एवं धारा-27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची नहीं।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
		मान्य पाठ्यक्रम
		---निरंक---

[Signature]
 विशेष कार्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, राजनातव
 सतपुरा, भवन, गोपाल (ग.प्र.)


		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०एससी०-तृतीय में अति० वि०- सेरिकल्चर, कम्प्युटर साइंस
--	--	--	------------------	---

(6)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	श्री दादा जी शिक्षण एवं सामाजिक समिति, देवास		
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा० श्री दादाजी कालेज, सतवास जिला देवास		
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	----		
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी०एससी०-तृतीय(भौतिक, गणित, कम्प्यु) 2-बी०एससी०-द्वितीय-बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माईकोबायोलॉजी, बाटनी, रसायन, सीड टेक्नो० 3-बी०ए०-द्वितीय-प्लेन/अति०वि०-कम्प्यु० ए० 4-बी०काम०-द्वितीय-प्लेन/कम्प्यु०एप्ली०		
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	आपत्ती नहीं।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कोड 28 में केवल वनस्पति गणित और बायोटेक्नोलोजी में नियुक्ति है किन्तु पर्याप्त नियुक्तियां नहीं हैं।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी०एससी०-तृतीय(भौतिक, गणित, कम्प्यु) 2-बी०एससी०-द्वितीय-बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माईकोबायोलॉजी, बाटनी, रसायन, सीड टेक्नो० 3-बी०ए०-द्वितीय-प्लेन/अति०वि०-कम्प्यु० ए० 4-बी०काम०-द्वितीय-प्लेन/कम्प्यु०एप्ली०

(7)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	श्री राधे गोर्धन शिक्षण प्रशिक्षण एवं कौशल विकास समिति, उज्जैन		
2	विद्यमान	अशा०इम्पीरियल कालेज आफ फण्डामेंटल स्टडीज, देवास		


 विशेष कार्यस्थल अधिकारी
 उच्च शिक्षा, राजस्थान राज्य
 त्तपुस्तक भवन, जयपुर (रा.प्र.)

	महाविद्यालय का नाम	
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	----
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-तृतीय(कम्यु.ए0,राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) 2.बी0एससी0-तृतीय(भौतिक,गणित,रसायन) अति0वि0-कम्यु0सा0, बाटनी,माईकोबायोलॉजी
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	आपत्ती नहीं।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	संबद्धता नहीं, अंतिम तिथि के बाद शेष शुल्क रूपय 10000 जमा किया गया। इपीफ आवेदित विषयों में वनस्पति, गणित, राजनीति विज्ञान में नियुक्ति है जा पर्याप्त नहीं है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। मान्य पाठ्यक्रम —निरक— आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। अमान्य पाठ्यक्रम 1-बी0ए0-तृतीय(कम्यु.ए0,राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) 2.बी0एससी0-तृतीय(भौतिक,गणित,रसायन) अति0वि0-कम्यु0सा0, बाटनी,माईकोबायोलॉजी

(8)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महा0द्वस्ट मंदसौर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महा0 मंदसौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-प्रथम(राजनीति,समाज,इतिहास)अर्थशा. 2-बी0एससी0-कम्यु0सा,गणित, भौतिक-प्रथम 3-बी0काम0-प्रथम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	----
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का	आपत्ती नहीं।


विशेष कर्नल्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, राजनालब
 सतपुरा मदन पोपाल (ग.प्र.)

	अभिमत			
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कोड-28 में पर्याप्त नियुक्तियों नहीं, रुपये 10,000/-का चालान कम जमा, पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों का निरंतरता शुल्क, वर्तमान सत्र की आडिट रिपोर्ट एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा के लियन सहित संयुक्त एफडीआर की प्रति प्रस्तुत नहीं।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-प्रथम(राजनीति, समाज, इतिहास)अर्थशा. 2-बी0एससी0-कम्यु0सा, गणित, भौतिक-प्रथम 3-बी0काम0-प्रथम

(9)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	गुरु सांदीपनी शिक्षण एवं शोध संस्थान, उज्जैन		
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 श्री गुरु सांदीपनी गर्ल्स इंस्टी0 आफ प्रोफेशनल स्टडीज, उज्जैन		
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-प्रथम में अति0वि0-बाटनी 2-बी0काम0-प्रथम में अति0वि0-कम्यु0 ए0		
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-द्वितीय- भौतिक, गणित रसायन, अति0वि0-माईकोबायोलॉजी, जूलॉजी, कम्युटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी 2-बी0काम0-द्वितीय		
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों के चयन नहीं होने से अनूशांसा नहीं की जा सकती हैं।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	धारा-27 में जीवित सदस्यों की सूची अनुमोदित नहीं, ईपीएफ एवं वेतन का भुगतान के बैंक प्रमाण नहीं, कोड-28 में नियुक्तियों नहीं।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—


विशेष कर्नल्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा संस्थानांतव
 सतपुड़ा संतन पापाल वि.०.।


		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-प्रथम में अति0वि0-बाटनी 2-बी0काम0-प्रथम में अति0वि0-कम्प्यु0 ए0 1-बी0एससी0-द्वितीय- भौतिक, गणित रसायन, अति0वि0-माईकोबायोलॉजी, जूलॉजी, कम्प्युटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी 2-बी0काम0-द्वितीय
--	--	--	------------------	--

(10)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	सांदीपनी शैक्षणिक समिति उज्जैन		
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	सांदीपनी लॉ कॉलेज उज्जैन		
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-एल0एल0बी0-पंचवर्षीय-प्रथम		
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	--		
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों के चयन नहीं होने से अनूशंसा नहीं की जा सकती है।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	खेल मैदान के दस्तावेज, कोड-28 में नियुक्तिया नहीं, निरन्तरता शुल्क जमा नहीं एवं वि0वि0 का अध्यादेश उपलब्ध नहीं तथा निर्मित क्षेत्रफल का अभाव है।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-एल0एल0बी0-पंचवर्षीय-प्रथम

(11)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	श्रीपाल एजुकेशन सोसायटी, उज्जैन		
2	विद्यमान	अशा0 भारतीय महा0 उज्जैन		


विशेष कर्नल/अध्यक्ष अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग/विद्यालय
 सतपुरा: सतपुरा (म.प.)

	महाविद्यालय का नाम	
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-कम्प्यु0 ए0-द्वितीय
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों के चयन नहीं होने से अनुशासा नहीं की जा सकती हैं।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	आवेदित विषय में कोड 28 में नियुक्ति नहीं।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।
		मान्य पाठ्यक्रम अमान्य पाठ्यक्रम बी0ए0-कम्प्यु0 ए0-द्वितीय
		—निरंक—

(12)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	संत मुरली गोपाल शिक्षण समिति, तराना
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 मास्टर माइण्ड कन्या महा0 तराना जिला उज्जैन
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय- माईकोबायोलॉजी, बाटनी एवं जूलॉजी
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों के चयन नहीं होने के कारण एवं एवं शुल्क भी जमा नहीं है अतः अनुशासा नहीं की जा सकती हैं।
6	परीक्षण में पाई	गत वर्ष की विश्वविद्यालय की संबद्धता, कोड-28 में नियुक्ति, ईपीएफ कटौती

विशेष कर अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग
सतपुरा

	गई मुख्य कमियां	एवं वेतन के भुगतान का बैंक प्रमाण प्रस्तुत नहीं।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।		मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—	
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।		अमान्य पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय- माईकोबायोलॉजी, बाटनी एवं जूलॉजी	

(13)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण		
1	समिति का नाम	लोक मान्य तिलक शैक्षणिक न्यास उज्जैन		
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 लोक मान्य तिलक साइंस एण्ड कामर्स कालेज, उज्जैन		
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0काम0-आनर्स-प्रथम		
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---		
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	आपत्ती नहीं।		
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	धारा-27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची एवं कालेज कोड-28 में विश्वविद्यालय का पत्र नहीं।		
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।		मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—	
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र		अमान्य पाठ्यक्रम	बी0काम0-आनर्स-प्रथम	

विशेष कमिटी के अध्यक्ष/कार्यकारी
उच्च शिक्षा विभाग, उज्जैन
सहायक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

(10)

		अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।		
--	--	--	--	--

(14)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	स्व० डॉ० आर०एम०एस० फाउण्डेशन मंदसौर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा० स्व० श्री डॉ० आर०एम०एस० सोजतिया कालेज आफ एजुकेशन, भानपुरा जिला मंदसौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०एससी०-प्रथमभौतिक, गणित, रसायन अति०वि०-बाटनी, जूलॉजी 2-बी०काम०-प्रथम-कम्प्यु० एप्लीकेशन 3-पीजीडीसीए
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों के चयन नहीं होने से अनुशंसा नहीं की जा सकती है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कालेज कोड 28 के नियुक्ति के दस्तावेज, जीवित एफडीआर, प्राचार्य अग्रणी महा. का 50 प्रतिशत प्रवेश का प्रमाणपत्र, वेतन बैंक से भुगतान का विवरण पत्रक, ईपीएफ कटौती, निर्धारित तिथि में जमा शुल्क, चालान की मूलप्रति, पाठ्यक्रम के मान से व्याख्यान कक्ष एवं प्रयोगशाला, प्राचार्य की नियुक्ति के दस्तावेज अप्राप्त।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		1-बी०एससी०-प्रथमभौतिक, गणित, रसायन अति०वि०-बाटनी, जूलॉजी 2-बी०काम०-प्रथम-कम्प्यु० एप्लीकेशन 3-पीजीडीसीए

विशेष क. 1/2019/2020/2021
उच्च शिक्षा विभाग, मंदसौर
सतपुरा


8

(15)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	रतनपुरी श्री गुरु कृपा शिक्षा प्रसार एवं सेवा समिति, रतलाम
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 श्री योगन्द्र सागर इंस्टी0 आफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस रतलाम
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	----
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-माईकोबायोलॉजी, बाटनी केमिस्ट्री -तृतीय
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्ग शिक्षकों के चयन नहीं होने से अनुशंसा नहीं की जा सकती है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	ईपीएफ कटोत्रा नहीं, कोड-28 में नियुक्ति नहीं, रासेयो ईकाई प्रारंभ नहीं, धारा-27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची नहीं।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।
		मान्य पाठ्यक्रम
		अमान्य पाठ्यक्रम
		1-बी0एससी0-माईकोबायोलॉजी, बाटनी केमिस्ट्री -तृतीय

(16)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री गुरु हरकिशन शिक्षा संवर्धन समिति, रतलाम
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 श्री अरिहंत कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन रतलाम
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	----
4	आवेदित निरन्तरता के	बी0काम0-आनर्स-तृतीय वर्ष


विशेष
उच्च शिक्षा
रतलाम

	पाठ्यक्रम	
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	आपत्ती नहीं।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	पूर्तीपूर्ण है
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। मान्य पाठ्यक्रम बी0काम0-आनर्स-तृतीय वर्ष आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। अमान्य पाठ्यक्रम — निरंक—

(17)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	उज्जैननी सोमनाथ कृपा शिक्षण समिति, उज्जैन
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 एडवांस कालेज उज्जैन
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	--
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0काम0-आनर्स तृतीय
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अभिमत	आपत्ती नहीं।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	पूर्ती पूर्ण है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। मान्य पाठ्यक्रम बी0काम0-आनर्स तृतीय


A. Dalt
 विशेष कार्य
 उच्च शिक्षा
 नरतपुरा

	शिक्षा का निर्णय	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।		
		आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	—निरक—

9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-573/571/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 15/03/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, उज्जैन, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, (म0प्र0)।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.